

महिला सशक्तिकरण –एक राष्ट्रीय नीति

कालीचरन

एम०ए०(अर्थशास्त्र), बी०ए०

शोधार्थी

एम०जे०पी०रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय
बरेली।

डा० अग्रेज सिंह

एसो० प्रो०

विभाग अध्यक्ष अर्थशास्त्र

उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत

महिला-पुरुष समानता के सिद्धान्त को भारतीय संविधान के प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों में ही प्रतिस्थापित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं के लिए समानता की गारण्टी प्रदान करता है बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने का हक भी प्रदान करता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974–1978) के समय से ही भारत महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज में उनकी स्थिति निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय मुददे के रूप में लेकर चल रहा है और सरकार महिला मुददे को कल्याण से लेकर विकास के रूप में लाकर अपने दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है।

महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सन् 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। पंचायतों और नगर निगमों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए सन् 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी की अधारांशला रखी गयी। भारत ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधिपत्रों को भी अनुमोदित किया है। उनमें सन् 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेद भाव के उन्नमूलन सम्बन्धी संधिपत्र का अनुमोदन सबसे प्रमुख है।

महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य –

राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। उसके उद्देश्यों में महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है जिससे महिलायें अपनी क्षमता को साकार कर सकें तथा स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण, प्रक्षेत्र, रोजगार, समान परिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। उनमें महिलाओं

और बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेद भाव एवं हिंसा का उन्नमूलन तथा सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी सुनिश्चित करना शामिल है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन –

सरकार ने महिलाओं के लिए स”वित्तकरण के लिए इस वर्ष राष्ट्रीय मि”न की स्थापना की है तथा 8 मार्च, 2010 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। मि”न का लक्ष्य महिला केन्द्रित कार्यक्रमों को मि”न के रूप में लागू करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गरीब और हासिये पर रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला प्रौद्योगिकी एवं रोजगार कार्यक्रम को सहयोग दे रहा है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं का कौ”ल उन्नयन, उद्यमिता कौ”ल का विकास, सम्पत्ति सृजन और उन्हें छोटे व्यवहारिक समूहों में एकजुट करना है ताकि लाभार्थी महिलायें रोजगार सह आय सृजन गतिविधियां शुरू कर सकें। मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रभावित महिलाओं को समग्र और सम्पोषणीय तरीके से मजबूत करने के लिए प्रियदर्शीनी नामक योजना भी शुरू की है और वह महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर और उनके लिए कौ”ल उन्नयन कार्यक्रम चलाकर उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के हल में जुटा हुआ है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना –

मंत्रालय केन्द्रप्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है। स्कीम का डिजाइन ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार एवं आय सृजन गतिविधियां शुरू करने के वास्ते प्रोत्साहित करने के लायक बनाया गया है। सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति को 50 प्रति”त, महिलाओं को 40 प्रति”त, अल्पसंख्यकों को 15 प्रति”त तथा विकलांगों को 3 प्रति”त का आरक्षण प्रदान किया गया है। इसे शुरू किये जाने से लेकर अब तक 37 लाख स्वयं सहायता समूह बनाये गये हैं और 134 लाख स्वरोजगारियों को लाभ पहुंचाया गया है। जिसमें से करीब 70 लाख (52 प्रति”त) महिलायें हैं। राष्ट्रीय महिला कोष असंगठित क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के तहत संगठित महिलाओं को आय सृजन के लिए ऋण प्रदान करता है।

भारत दृष्टिकोण 2020 –

भारत दृष्टिकोण 2020 दस्तावेज ने श्रमबल में महिलाओं की चर्चा करते हुए इसका उल्लेख भी किया है कि कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित बाल देखभाल सेवायें बहुत जरूरी हैं। योजना आयोग के 11वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में महिला एवं बाल विकास के लिए कई योजनाएं एवं कार्यक्रम शामिल किये गये

हैं। इसमें कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए असंगठित क्षेत्र में पालने की स्थापना करने तथा मौजूदा राजीव गांधी पालना योजना को नया स्वरूप दिये जाने पर बल दिया गया है।

महिलाओं के लिए सुविधा केन्द्र –

सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक दें”। में करीब 3 करोड़ 43 लाख विधवाएं और 23 लाख 40 हजार तलाक” जुदा और परित्यक्त महिलाएं हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आश्रय आधारित स्वधार और शॉर्ट स्टे होम्स योजनाएं चला रही है। जिनके तहत मुंगकल समय से गुजर रही महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धों के लिए चलाई जा रही समेकित योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को वृद्ध विधवाओं के लिए बहुसुविधा परक देखभाल केन्द्र चलाने के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंगून योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंगून योजना चला रहा है जिनके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 64 वर्ष की विधवाओं को 200 रुपये मासिक पेंगून दिये जाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अवसर पर छह मार्च 2010 को नई दिल्ली में महिला नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने किया था। सम्मेलन का उद्देश्य संकेत महिलाओं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, को दुनिया के समुख लाना था। सम्मेलन का मुख्य ध्येयवाक्य समय वृद्धि और ग्रामीण भारत की महिलाओं का संवित्तकरण था। उपलब्धि हासिल करने वाली कई महिलाओं ने कॉर्पोरेट, वित्तीय सेवाएं, कृषि, विज्ञान, मीडिया, पंचायती राज, खेलकूद, संस्कृति और कानून जैसे विविध क्षेत्रों में चर्चातियों और अवसरों पर अपने विचार रखे।

महिला विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अभियान

सरकार महिलाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ अभियान जारी रखकर उन्हें भारत में उचित दर्जा प्रदान करने के लिए कई कठोर कदम उठाती आ रही है। उनमें घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध, मानव तस्करी, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न पर रोकथाम, महिलाओं और बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति, दहेज मामलों में उत्पीड़न का उन्मूलन, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करना, बलात्कार पीड़ित महिलाओं को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना शामिल है। केन्द्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लगभग 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

महिला स"वित्करण की दिनों में हालांकि दुनिया के कई देशों कई महत्वपूर्ण उपाय काफी पहले कर चुके हैं। आचर्य की बात तो यह है कि हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान में भी महिलाओं के लिए संसदीय सीटों में

आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। लगता तो है कि अब भारतवर्ष में भी इस दि”गा में कुछ रचनात्मक कदम उठाये जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना और वह भी राजनीति जैसे उस क्षेत्र में जहाँ कि आमतौर पर पुरुषों का ही वर्चस्व देखा जाता है वास्तव में एक आ”चर्य की बात है।

आधुनिक भारतीय समाज की स्थिति –

आधुनिक भारतीय समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करने पर आज हम देखते हैं कि

—

1. महिलाओं पर अत्याचार, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के अभद्र प्रद”न का आर्थिक लाभ के लिए दुरुपयोग एक साधारण बात हैं।
2. हमारे निर्वाचित नेता, प्रिय नेता, अभिनेता सब हमारे अपने समाज के सदस्यों द्वारा लगातार हिंसक हमलों के डर से उच्च सुरक्षा से घिरे रहते हैं।
3. सरकारों के सब प्रयासों के बावजूद भूख, गरीबी, सामाजिक मूल्यों का छास, चरित्र और जीवन यापन में शिक्षा की अनुपयोगिता, शैक्षणिक, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है।
4. सब वस्तुओं खाद्य पदार्थों में मिलावट, और खाद्य उत्पादन की लगातार घटती स्थिति और उस से प्रभावित समाज भी नए—नए रोगों की महामारी बड़ी चिंता के विषय हैं।
5. प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन हमारे नियंत्रण से बाहर होते लगते हैं।
6. पारिवारिक संबंध समाप्त होते जा रहे हैं।
7. वृद्धों की गरीबी की, बेरोज़गारी की समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिखता।
8. सभी विज्ञान और प्रौद्योगिक के आधुनिकतम अच्छे इरादों योजनाओं के बावजूद, स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखती है।
9. सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में लगातार वृद्धि के बावजूद ईमानदारी से अपना—अपना कार्य करके समाज में अपना दायित्व निभाता कोई नहीं दिखता।
10. सत्य कहने जानने के साधन उपलब्ध नहीं हैं।
11. योग्य फ”क्षित वर्ग की उपेक्षा एक नियम बन गई है।
12. दैनिक निर्दोष लोग हिंसा और दूसरे अपराधों को झेलते हैं।
13. विज्ञापनों में झूठी बातों का प्रचार आज हमारे समाज के सब कार्य और योजनाओं को विफल करते दीखते हैं।

बड़ा विस्मयकारी होगा यदि यह बताया जाए कि जिस समाज में कन्याओं महिलाओं का शोषण होता है उस समाज ही में ऐसी स्थिति का पाए जाने का वेदों में पूर्ण रूपेण वर्णन मिलता है। वेदों के अनुसार सामाजिक मूल्यों के विघटन का कारण, समाज निर्माण के कार्य में महिलाओं की भूमिका को न समझाना और महिलाओं की उपेक्षा होती है। मातृ”वित की भूमिका संतान के मानसिक और शारीरिक निर्माण में गर्भ से ही आरम्भ होती है तथा संतान में बाल्यकाल से सामाजिक मूल्यों की अवधारणा, प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति चेतना, श्रेयस में रूचि मातृ शक्ति की ही समाज को देन होती है। प्रकृति ने जन्म से ही स्त्री जाति को अपने इस सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए समक्ष बनाया है। कोई भी प्राक्षण संस्था मातृ”वित की राष्ट्र निर्माण में इस भूमिका की कमी का पूरक कभी नहीं हो सकती।

स”वितकरण के उक्त विलेषण से यह स्पष्ट होता है कि स”वितकरण एक प्रक्रिया है जिनके मुख्य अवयव शक्ति संरचना पर नियंत्रण करना, सहभागिता तथा विकास की दिंग को प्रभावित करना है। अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविवास, विलेषणात्मक योग्यता, जागरूकता में बढ़ोत्तरी, गतिशीलता में बढ़ोत्तरी तथा समुदाय के बीच अपनी एक स्पष्ट पहचान बनाना भी स”वितकरण प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। इस आधार पर स”वितकरण को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो महिलाओं में गतिशीलता, आत्मविवास, अनुकूल स्वदृष्टिकोण तथा जागरूकता का संचार करती है जिससे निर्णयात्मक प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सम्भव हो सके तथा विलेषणात्मक योग्यता द्वारा विकास की दिंग को न केवल नियंत्रित कर सके बल्कि उसकी दिंग को अपने हित में मोड़ने की क्षमता रख सकें।

सन्दर्भ

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| सी0पी0अग्रवाल | — कास्ट रिलीजन एण्ड पावर |
| प्रमिला कपूर | — कामकाजी भारतीय नारी, |
| इरावती कार्व | — हिन्दू समाज और जाति व्यवस्था. |
| मोजम्मिल हुसैन | — भारतीय महिला एवं आधुनिकता |
| खन्डेला भान चन्द | — आधुनिकता और महिला उत्पीड़न |
| मुखर्जी आर0एन0 | — भारतीय ग्रामीण समाज शास्त्र |
| मैथ्यू जार्ज | — पंचायती राज में महिलायें |
| मिश्रा डा0 ऊषा .त्रिपाठी | — पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, |
| राठौर मधु | — पंचायती राज और महिला विकास, |